

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक 23-6-17

संख्या-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...7736...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-35314 दिनांक 19.05.2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1037 दिनांक 27.01.2017 द्वारा पुनर्नियुक्त निम्नांकित पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा पदस्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपने पद पर अब तक योगदान समर्पित नहीं करने के कारण उनकी नियुक्ति को रद्द की जाती है:-

- 1 श्री अरविन्द कुमार सिन्हा
- 2 श्री पंचानन शर्मा
- 3 श्री नंद लाल प्रसाद
- 4 श्री अजीत कुमार सिन्हा
- 5 श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
- 6 श्री चौधरी बृजेन्द्र कुमार राय
- 7 श्री ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय
- 8 डॉ० कुमार देव दत्त
- 9 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
- 10 श्री शंभु नाथ सिंह
- 11 श्री सतीश चन्द्र राय
- 12 श्री गंगा प्रसाद
- 13 श्री गोविन्द चन्द्रायन
- 14 श्री विपिन बिहारी मिश्रा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...7736...../पटना-15, दिनांक 23-6-17
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...7736...../पटना-15, दिनांक 23-6-17
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-35314 दिनांक 19.05.2017 के प्रसंग में/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं संबंधित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से सूचनार्थ तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।